एस. आर. के. (पी.जी.) कॉलेज

फीरोजाबाद (उ0प्र0)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा B ग्रेड प्राप्त

2025-2026

डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध

विवरणिका

PROSPECTUS

एस0आर0के0 (पी.जी.) कॉलेज, फीरोजाबाद

बी0ए0, बी0कॉम0, एम0ए0 तथा एम0कॉम0 उपाधियों के लिए

परम श्रद्धेय सेठ स्व. श्री कन्हैयालाल जी गोयन्का द्वारा 1919 में स्थापित इस शिक्षण संस्थान को वर्ष 1939 में इण्टरमीडिएट कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हुई। उदारमना आदरणीय सेठ स्व. श्री माधव प्रसाद जी गोयन्का ने अपने पूज्य पिताश्री की परम्परा का निर्वाह करते हुए इसे सन् 1959 में स्नातक स्तर तक उन्नत किया तथा आगरा विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा बी. कॉम. उपाधि की सम्बद्धता प्राप्त की । प्रगति पथ पर बढ़ते हुए सन् 1965 में इस महाविद्यालय को एम.ए. तथा एम.कॉम. की कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में महाविद्यालय में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के आठ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ पीएच0डी0 शोध उपाधि की भी मान्यता प्राप्त है।

छात्र छात्राओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने हेतु उदारमना सेठ श्री शशि प्रसाद जी गोइन्का ने अपनी उदारता का परिचय देते हुये शासन की नवीन नीति के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत, बी.सी.ए., बी.बी.ए., तथा बी.एड. कक्षाओं की मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा इन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमानुसार सुसज्जित प्रयोगशाला एवं आधुनिक शिक्षा पद्धति हेतु आवश्यक आई0सी0टी0 शिक्षण व्यवस्था का प्रबन्ध किया।

महाविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को जाति, सम्प्रदाय, वर्ग आदि के भेदों से रहित शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास करने वाली आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। छात्रों में नागरिक भाव के पोषण तथा उनमें जीवन के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

महाविद्यालय का विशाल भवन सेठ कन्हैयालाल गोइन्का मार्ग, कोटला रोड पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण में स्थित है । महाविद्यालय के अन्तर्गत कई विशाल सभागार तथा हराभरा प्रांगण है, जो विद्यार्थियों को खेलकूद की पूर्ण सुविधा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में क्रीड़ागन एवं इण्डोर गेम हेतु बहुउद्देशीय हॉल की व्यवस्था की गई है। सेठ माधव प्रसाद गोइन्का स्टेडियम एवं इण्डोर गेम्स स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधायें उपलब्ध है। महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण जिम की भी व्यवस्था है।

महाविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय है कि यू0जी0सी0 की संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा महाविद्यालय को प्रत्येक दृष्टि से उच्चस्तरीय पाया गया है और उसे ग्रेड 'बी' प्रदान किया गया है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

कॉलेज में एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों की लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। विस्तृत पुस्तकालय भवन में शोधकक्ष की भी व्यवस्था है। पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

महाविद्यालय में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अनेक समाचार–पत्र तथा पत्रिकाओं (साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि) की व्यवस्था है। पुस्तकालय की व्यवस्था प्रशिक्षित एवं अर्हता प्राप्त पुस्तकालय स्टाफ की देखरेख में होती है। गम्भीर एवं निर्विघ्न अध्ययन के लिए अध्ययन कक्षों एवं एक विशाल वाचनालय कक्ष की व्यवस्था है।

सह–पाठ्यविधि कार्यक्रम

महाविद्यालय में शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है तथा उनमें सक्रिय भाग लेने के लिए सभी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस उद्देश्य से महाविद्यालय में सांस्कृतिक क्लब की स्थापना भी की गई है।

महाविद्यालय की ओर से साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों तथा क्रीड़ा विभाग द्वारा विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । स्नातक कक्षाओं के छात्रों के लिए एन.एस.एस. तथा एन.सी.सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था है। महाविद्यालय में वर्तमान सत्र से रोवर्स रेंजर्स की 2–2 इकाईयाँ प्रारम्भ की गई है। प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र–छात्रा को एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं रोवर्स रेंजर्स में से किसी एक इकाई का सदस्य होना अनिवार्य है।

विभिन्न विषयों के छात्रों द्वारा अपने प्राध्यापकों की देखरेख में विषयों के पृथक–पृथक स्वाध्याय मण्डलों का गठन किया जाता है जिनमें वाद–विवाद, निबन्ध, साहित्यिक, प्रतियोगिताओं व शैक्षणिक पर्यटन आदि का आयोजन होता है और छात्रों के ज्ञानवर्द्धन के लिए विभिन्न विषयों के प्रख्यात विद्वानों को आमन्त्रित उनके व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है । इस कॉलेज में पूर्णतः सुसज्जित संगोष्ठी कक्ष की व्यवस्था है। महाविद्यालय में समय–समय पर छात्र–छात्राओं के ज्ञानवर्द्धन हेतु विभिन्न विभागों के द्वारा यू0जी0सी0 एवं शासन के सहयोग से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। सत्र 2019–20 में संस्थान के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'', उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद, डॉ0 अनिल जैन एवं डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल ने शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अपने उद्बोधन दिये। इस अवसर पर संस्थान के सचिव सेठ शशि प्रसाद गोइन्का एवं तत्कालीन सह सचिव डॉ0 जी0के0 अग्रवाल ने संस्थान के गौरवपूर्ण प्रगति यात्रा पर प्रकाश डाला।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–सिविल सेवा, पी0सी0एस0, नेट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि परीक्षा हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क कोचिंग एस0आर0के0 (पी0जी0) कॉलेज, फिरोजाबाद में संचालित की गई है। संस्थान में बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर एवं स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों पर छात्र–छात्राओं को चलने के लिये प्रेरित करने हेतु इन महापुरूषों के नाम से अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई।

प्राचार्य

प्रोफे0 प्रमोद कुमार सीरौठिया (एम0कॉम0,एम0ए0 (इतिहास), पीएच0डी0)

(वाणिज्य संकाय)

1– व्यवसाय प्रशासन विभाग

(1) प्रोफे0 रवि माहेश्वरी – एम0कॉम0, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(2) डॉ0 वन्दना सिंह – एम0कॉम0, नेट (जे0आर0एफ0), पी0एच0डी0, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(3) स्थान रिक्त

2– व्यावहाारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग

(1) प्रोफे0 राजीव अग्रवाल – एम0कॉम0 (लेखा एवं विधि तथा व्या.व्या., अर्थशास्त्र), पीएच0डी0, प्रोफेसर

(2) श्री नित्य प्रकाश सिंह – एम0कॉम0, एम0बी0ए0, नेट, एम0ए0, (अर्थशास्त्र) असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(3) स्थान रिक्त

3– लेखा एवं विधि विभाग

(1) प्रोफे0 मनोज कुमार अग्रवाल – एम0कॉम0, एम0ए0, (अर्थशास्त्र), नेट, पीएच.डी., प्रोफेसर

(2) प्रोफे0 हनुमान प्रसाद मालोनिया – एम0कॉम0, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(3) डॉ0 यशपाल सिंह – एम0कॉम0, एम0बी0ए0, एम0फिल0, नेट, पीएच0डी0, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(4) ऋतु शर्मा – एम0कॉम0, नेट (जे0आर0एफ0), बी0एड0, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1– राजनीति विज्ञान

(1) प्रोफे0 मोहम्मद आफताब सिद्दीकी– एम0ए0, एम0फिल0, पीएच0डी0, पी0जी0 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म प्रोफेसर

(2) श्री बृजेन्द्र कुमार मिश्र – एम0ए0, नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(3) स्थान रिक्त।

2– अर्थशास्त्र विभाग

(1) प्रोफे0 शिशिर कुमार वर्मा – एम0ए0, एम0एस0सी0, पी0एच0डी0, प्रोफेसर

(2) प्रोफे0 प्रशान्त अग्रवाल – एम0ए0, एम0पी0एस0, नेट, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(3) प्रोफे0 संजीव मोहन शर्मा – एम0ए0, पीएच0डी0, पी0जी0डी0सी0पी0, प्रोफेसर

(4) डॉ0 (श्रीमती) पूनम तोमर – एम0ए0, नेट, पी0एच0डी0, असिस्टेंट प्रोफेसर

3– इतिहास विभाग

(1) प्रोफे0 शहरयार अली – एम0ए0, यू0जी0सी0 नेट, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(2) डॉ0 शैलेन्द्र चौहान – एम0ए0, नेट, जे0आर0एफ0, पीएच0डी0 असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(3) श्री व्योमेश यादव – एम0ए0, नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

4– मनोविज्ञान विभाग

(1) प्रोफे0 अजिर बिहारी चौबे – एम0ए0, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(2) प्रोफे0 अमर प्रकाश – एम0ए0, पी0एच0डी0, प्रोफेसर

(3) श्रीमती कविता अग्रवाल – एम0ए0, नेट, एसोसिएट प्रोफेसर

(4) स्थान रिक्त

5– समाजशास्त्र विभाग

(1) श्री सुबोध कुमार – एम0ए0, नेट, बी0एड0, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(2) डॉ0 अमित कुमार शर्मा – एम0ए0, (समाजशास्त्र, अंग्रेजी), नेट (समाजशास्त्र), पीएच0डी0, बी0एड0, एम0बी0ए0, असिस्टेंट प्रोफेसर

(3) स्थान रिक्त

(भाषा संकाय)

1– हिन्दी विभाग

(1) प्रोफे0 (श्रीमती) रश्मि जैन – एम0ए0, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(2) डॉ0 (श्रीमती) उदारता भदौरिया – एम0ए0, पीएच0डी0, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(3) श्री कृष्णदेव, – एम0ए0, नेट, (जे0आर0एफ0), बी0एड0, एम0एड0, असिस्टेंट प्रोफेसर

(4) डॉ0 सन्तोष कुमार – एम0ए0, नेट, (जे0आर0एफ0), पीएच0डी0, बी0एड0, असिस्टेंट प्रोफेसर

2– संस्कृत विभाग

(1) प्रोफे0 (श्रीमती) निहारिका चतुर्वेदी – एम0ए0, नेट, पीएच0डी0, प्रोफेसर

(2) स्थान रिक्त

3– अंग्रेजी विभाग

(1) डॉ0 (श्रीमती) लीना बंसल – एम0ए0, एम0फिल0, पीएच0डी0, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

(2) डॉ0 आलोक प्रताप सिंह सिकरवार – एम0ए0, बी0एड0, पीएच0डी0, असिस्टेंट प्रोफेसर

(3) डॉ0 नवीन कुमार लवानियाँ – एम0ए0, पीएच0डी0, प्रवक्ता

(4) स्थान रिक्त

नोट – एन0सी0सी0 प्रभारी और एन0एस0एस0 के कार्यक्रम अधिकारी अनुशासन समिति के पदेन सदस्य होगें।

पुस्तकालय विभाग

(1) पुस्तकालय अध्यक्ष – स्थान रिक्त

शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग

(1) स्थान रिक्त

(2) स्थान रिक्त

कार्यालय

(1) स्थान रिक्त	–	कार्यालय अधीक्षक
(2) श्री नीरज अग्रवाल	–	बी0कॉम0 लेखाकार, कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक
(3) श्री पंकज भारद्वाज	–	बी0कॉम0 स्टैनो
(4) डॉ0 अखिलेश कुमार	–	एम0कॉम0, पीएच0डी0, एम0ए0 (राजनीति विज्ञान) एम0एम0 (समाजशास्त्र), वरिष्ठ सहायक
(5) श्री दीपक पचौरी	–	बी0एस0सी0, कनिष्ठ सहायक
(6) श्री सुखवीर सिंह गुर्जर	–	एम0ए0, एम0पी0एड0, डी0वाई0एड0, एल0एल0बी0, एम0फिल0, कनिष्ठ सहायक
(7) श्री पवन तैनगुरिया	–	एम0ए0 (राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) पी0जी0डी0सी0पी0, कनिष्ठ सहायक
(8) स्थान रिक्त	–	कार्यालय सहायक
(9) स्थान रिक्त	–	कार्यालय सहायक

पुस्तकालय कार्यालय

(1) श्री जितेन्द्र कुमार गोस्वामी	–	कार्यवाहक पुस्तकालय अध्यक्ष, एम0एससी0, एम0लिब0, बी0एड0, पी0जी0डी0सी0पी0ए0,
(2) श्री हरेन्द्र कुमार बघेल	–	बी0कॉम0, ई0कॉम0, बी0लिब0, एम0एल0आई0एस0, पुस्तकालय सहायक

(3) स्थान रिक्त

(4) स्थान रिक्त

मनोविज्ञान प्रयोगशाला

(1) श्री ब्रजमोहन सिंह	–	एम0ए0(मनोविज्ञान), बी0एड0, पी0जी0डी0सी0पी0, आई0टी0आई0, (विधुतिकी), प्रयोगशाला सहायक

सहायक कर्मचारी

(1) श्री अखिलेश कुमार	(4) श्री भगवानदास	(7) श्री कुलदीप
(2) श्री संतोष कुमार	(5) श्री पंकज कुमार	
(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद	(6) श्री विवेक कुमार	

इनके अतिरिक्त 13 पद रिक्त है।

पाठ्यक्रम (स्नातक कक्षाऐं)

1. बी.ए. (प्रथम सेमेस्टर) –

बी.ए. प्रथम वर्ष में छात्र, भाषा तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में से प्रथम दो मुख्य मेजर विषयों का चयन करेगें। तदोपरान्त उपरोक्त दोनों संकायों एवं वाणिज्य संकाय में से किसी अन्य विषय का चयन माइनर विषय के रूप में किया जायेगा।

भाषा संकाय : संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय : अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान

वाणिज्य संकाय : व्यवसाय प्रशासन, लेखा एवं विधि, व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र

नोट – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशानुसार विषयों का चयन करना होगा।

2. **बी.ए. (द्वितीय वर्ष) –** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशानुसार विषयों का चयन करना होगा।

3. **बी.ए. (तृतीय वर्ष)–** (वार्षिक परीक्षा के पूर्व नियमानुसार) –

बी.ए. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों का चयन करना होगा जिन विषयों का चयन विद्यार्थी ने बी.ए. द्वितीय वर्ष में किया था।

4. **बी.कॉम. (प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष)–**

प्रत्येक विद्यार्थी को बी.कॉम. में निम्नवत विषयों का चयन करना है–

(क) अनिवार्य विषय (निम्न में सें दो)– 1. व्यवसाय प्रशासन 2. लेखा एवं विधि 3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र

प्रत्येक छात्र को उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में एक अन्य विषय माइनर विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक वॉकेशनल व सहपाठ्येत्तर विषय को पढ़ना अनिवार्य है।

स्नातकोत्तर कक्षाएँ

(1) एम.ए. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर –

एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश होगा ।

1. हिन्दी	2. अंग्रेजी	3. संस्कृत	4. इतिहास
5. राजनीति विज्ञान	6. समाजशास्त्र.	7. मनोविज्ञान	8. अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के निर्देशानुसार प्रवेश दिए जायेगें, जिसमें किसी अन्य संकाय का एक विषय का चयन अनिवार्य होगा।

(2) एम.ए. तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर –

एम0ए0 (तृतीय सेमेस्टर) में केवल उन्हीं विषयों में प्रवेश होगा, जिन विषयों में अभ्यर्थी ने एम0ए0 प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के नियमानुसार अध्ययन किया है।

(3) एम.कॉम. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर –

एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर के लिए निम्नलिखित में से कोई एक विषय चुनना होगा–

(क) व्यवसाय प्रशासन

(ख) लेखा एवं विधि

(ग) व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र

प्रत्येक विषय के लिये पृथक आवेदन पत्र भरना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के निर्देशानुसार प्रवेश दिए जायेगें, जिसमें किसी अन्य संकाय के एक विषय का चयन अनिवार्य होगा।

(3) एम.कॉम. तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर –

एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर में उसी विषय का चयन करना है जिसमें एम.कॉम. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के नियमानुसार अध्ययन किया है।`

डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत
स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना

(Structure of UG- FYUP and PG Programmes)

(यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2025–26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होंगी)

क्षेत्र (**Scope**)

यह व्यवस्था **कला**, **विज्ञान**, **वाणिज्य** आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा **बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम०** तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम० काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स) यथा बी०एससी० (माइक्रोबायोलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए०, बी०एस०सी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एस०सी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनोमिक्स) आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

पाठ्यक्रम (**Minimum Common Syllabus**)

त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम **स्नातक के तीन वर्ष** एवं **परास्नातक के प्रथम वर्ष** को जोड़कर माना जायेगा। पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की बहुविषयक स्नातक डिग्री हेतु होगा।

चौथे वर्ष में विद्यार्थी **चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित)** एवं **स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) डिग्री** में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

विदयार्थी को प्रवेश के समय बी. ए., बी. एस. सी. और बी.कॉम में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के **दो मुख्य (मेजर) विषयों** का चयन करना होगा । इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी अपने दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में **प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया** के अनुरूप परास्नातक की **उपलब्ध सीटों** पर किया जायेगा।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी **नये विषय में परास्नातक** में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre- requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

विद्यार्थी द्वारा **तीसरे गौण (माइनर) विषय** का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में **Pre-requisite** का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है।

विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकता हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

<u>मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर</u>

विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकता है ।

उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इनकी परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेगा।

यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा करेगा।

एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या–1815/सत्तर–3–2021–16 (26)/ 2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

कौशल विकास कोर्स (**Vocational/Skill development Courses**)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3–9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जायेंगे ।

यदि विद्यार्थी यू०जी० सी० /PMKVY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है. तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (**Co-Curricular Courses**)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा **वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र** के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा। इनमें प्राप्त को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (**Co-Curricular Courses**)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे ।

इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (**Co-Curricular Courses**)

प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)'' पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाया जायेगा।

भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम'' का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन अथवा ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम'' करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

शोध परियोजना (**Research Project**)

स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।

विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

शोध परियोजना (**Research Project**)

स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है।

यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर।

स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

स्नातक चतुर्थ वर्ष में बिना शोध परियोजना उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद) की उपाधि दी जाएगी।

शोध परियोजना (**Research Project**)

स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी ।

शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

शोध परियोजना (**Research Project**)

स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध अपने (Report/Dissertation) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से **100 (75 शोध प्रबंध. 25 शोध पत्र)** अंकों में से किया जायेगा।

अनुमोदित छात्र संख्या का विवरण

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति		अनुसूचित		
			21 प्रतिशत		कुल योग 27 प्रतिशत		जनजाति 2 प्रति		
	सामान्य	विकलांग	अनु0 सामा0	अनु0 विकलांग	पि0 जाति सामा0	पि0जाति विकलांग	अनु0 जन सामा0	अनु0 जन विकलांग	
बी0ए0	133	06	57	2	73	3	6	—	280
बी0कॉम0	101	4	42	2	55	2	4	—	210

डॉ0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या सम्ब/2443/2022 दिनांक 29—11—2022 के अनुसार सीट मेट्रिक में बी0ए0 में 320 तथा बी0कॉम0 में 240 छात्र संख्या आवंटित की गई है।

नोट — आरक्षण व्यवस्था शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगी।

एम0ए0

विषय	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	कुल संख्या
1. हिन्दी	34	15	19	1	1	70
2. अंग्रेजी	34	15	19	1	1	70
3. संस्कृत	34	15	19	1	1	70
4. अर्थशास्त्र	34	15	19	1	1	70
5. राज. शास्त्र	34	15	19	1	1	70
6. इतिहास	34	15	19	1	1	70
7. समाजशास्त्र	34	15	19	1	1	70
8. मनोविज्ञान	11	5	7	1	1	25

एम0कॉम0

विषय	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	कुल संख्या
1. व्यवसाय प्रशासन	34	15	19	1	1	70
2. लेखा एवं विधि	34	15	19	1	1	70
3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र	34	15	19	1	1	70

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष), सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित है परन्तु इसका लाभ विद्यार्थी को तभी प्राप्त होगा जब उसने EWS प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।
2. आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थियों के उपलब्ध न होने पर सामान्य वर्ग से उन सीटों पर प्रवेश किया जायेगा।
3. **प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नवीनतम निर्देशानुसार किया जायेगा।**

सामान्य निर्देश

आवेदन पत्र के साथ ही निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है जिसके अभाव में आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई भी संलग्नक स्वीकार नहीं किया जा सकेगा तथा उसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा –

(अ) बी.ए. एवं बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु –

1. हाईस्कूल परीक्षा की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
2. इण्टर परीक्षा की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
4. उस संस्था के प्राचार्य से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमें अन्तिम शिक्षा पाई हो।
5. पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ (सफेद बैकग्राउण्ड)।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
7. पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पिछड़ी जातित का प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि ले अधिकतम 3 वर्ष से पूर्व की हो इससे अधिक अवधि के प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगें।
8. एन.सी.सी./ एन.एस.एस. प्रमाणपत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
9. अतिरिक्त, मेरिट अंकों के लिए संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
10. आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
11. विश्वविद्यालय की **बेब/समर्थ रजिस्ट्रेशन** की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।

नोट – (1) आवेदन पत्र की प्रति उपरोक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित निर्धारित अवधि के अंदर कार्यालय में जमा करायें।

(ब) बी.ए. एवं बी.कॉम. तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु –

प्रथम वर्ष की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ (कॉलेज यूनिफार्म में व्हाइट बैंकग्राउण्ड के साथ)।

(स) बी.ए. एवं बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु –

द्वितीय वर्ष की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ।

(द) एम.ए. एवं एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु –

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
2. एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु बी.ए. (छठे सेमेस्टर) तथा एम.कॉम. (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश के लिए बी.कॉम. (छठे सेमेस्टर) की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
3. पूर्व कॉलेज, जहां अन्तिम शिक्षा पाई हो, के स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि व चरित्र प्रमाण–पत्र (यदि इस कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त न की हो तो)
4. पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ ।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं विकलांग के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
6. एन.सी.सी. / एन.एस.एस. प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि।
7. पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष से पूर्व की हो इससे अधिक अवधि के प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगें।
8. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी EWS प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करें।
9. अतिरिक्त, मेरिट अंकों के लिए संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ ।

(ग) एम.ए. एवं एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु –

एम.ए. (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) अथवा एम.कॉम. (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ (कॉलेज यूनिफार्म में व्हाइट बैंकग्राउण्ड के साथ)।

–: प्रवेश सम्बन्धी नियम :–

विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देश ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(1) इस सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष के पंजीयन का कार्य विवि0 द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अंतर्गत होगा।

(2) अभ्यर्थी को पहले https://dbrau.ac.in अथवा https://dbrauadm.samarth.edu.in/ पर विश्वविद्यालय के निर्देशासुनसार अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके उपरान्त महाविद्यालय की वेबसाइट https://srkpgcollege.com/ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपने फॉर्म का प्रिंट तथा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट सभी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ महाविद्यालय में जमा करना होगा।

(3) प्रवेश आवेदन–पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करते समय प्रोस्पेक्टस शुल्क रू0 400/– एवं पंजीकरण शुल्क 25/– रू0 कुल 425 रूपयें ऑनलाइन जमा करना होगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा ।

(4) अनुसूचित–जाति, अनुसूचित–जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थी अपने आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

(5) अनुसूचित जाति के अर्ह समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन फीस जमा करने के उपरान्त छात्रवृत्ति फार्म भरकर कार्यालय में जमा करें।

(6) स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के समय टी.सी. व चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(7) प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की संस्तुति के उपरान्त कॉलेज की वेबसाइट पर सूची निर्गत होने के अधिकतम 5 कार्य दिवसों में अभ्यर्थी को शुल्क जमा करना होगा अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें कॉलेज की वेबसाइट www.srkpgcollege.com पर उपलब्ध रहेगी। छात्र–छात्रायें नियमित रूप से वेबसाइट/नोटिस बोर्ड को देखते रहें, यह उनका उत्तरदायित्व है। प्रवेश के सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जायेगा ।

(9) जो छात्र इस कॉलेज में कभी पढ़ चुका है और उसने अपना टी.सी. जमा करा दिया है तो उसे प्रवेश आवेदन–पत्र पर इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए तथा उसका वर्ष भी अंकित कर देना चाहिए जिसमें उसने टी.सी. जमा किया था।

(10) साक्षात्कार के समय आवेदनकर्ताओं को मूल प्रमाण–पत्रों, अंकतालिकाओं एवं स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

(11) किसी विषय में स्थान रिक्त न होने पर अभ्यर्थी को वह विषय नहीं दिया जायेगा।

(12) स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(13) परीक्षाकाल में मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाइस लाना वर्जित है।

(14) छात्र महाविद्यालय से अपना अध्ययन समाप्त करने के तीन वर्ष के अन्दर ही अपना टी. सी. प्राप्त कर लें। तीन वर्ष के पश्चात् उनको इस महाविद्यालय से टी.सी. व चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

(15) विद्यार्थियों की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। उसके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों का यथासमय अनुपालन अनिवार्य है।

(16) जो विद्यार्थी विद्यालय शुल्क, पुस्तकालय की पुस्तकें, एन.सी.सी. की यूनिफार्म व खेल का सामान आदि प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करेंगे उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(17) सत्र 2025–26 की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में केवल एक ही उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा ।

(18) मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक फाइल परीक्षा समाप्त होने के एक वर्ष की अवधि तक विभाग में भूतपूर्व छात्रों के उपयोग हेतु उपलब्ध रहेंगी तथा किसी भी विद्यार्थी को किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

(19) प्राचार्य को किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित करने एवं प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 द्वारा अनुमोदित
प्रवेश नियमावली सत्र 2025–26

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. **(i)** व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होगें, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

   (ii) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के **Samarth Admission Portal** के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश **Four Year Under Graduate Programme (FYUGP)** के अनुरूप होगें। (जिसका अध्यादेश संलग्न है।) तथा बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रकिया लागु की जा सकती है।

   (iii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते है।

   (iv) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है।

   (v) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3. (i) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक Programme का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। **Samarth Registration Number** शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु0 400/– तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे– एल–एल0बी0, बी0पी0एड0, बी0एड0, एम0एड0, एल0एल0एम0, आदि) के लिए भी रु0 400/– होगा तथा अभ्यर्थी केवल एक बार ही Samarth Registration Number का शुल्क जमा करेगा।

   (ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वं–प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(iii) सत्र 2025–26 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश **Samarth Admission Portal** (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः
(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) समर्थ आई0डी0 से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण / निजी जानकारी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यक्रम / महाविद्यालय / संस्थान व विषय का चयन / भुगतान करना / फार्म प्रिंट **Online** माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान / महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अनिवार्य है। संस्थान / महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो **Samarth Admission Portal** की निर्धारित प्रकिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

4. आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भॉति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिर्पोटिंग **OTP** द्वारा **Admit** प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान / सम्बद्ध महाविद्यालय **Samarth** की **Admin Login Id** पर जाकर अभ्यर्थी की सीट **Confirm** भी करेगें।

सामान्य निर्देश

1. (अ) (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका **"Prospectus"** तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रू0 400 / – होगा।

(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10 / – के स्थान पर रू0 25 / – लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2025–2026 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्पयूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन हैल्प सेंटर होगा। जहाँ से बच्चे को प्रोग्राम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रदद् कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।

2\. (अ) सत्र 2025–26 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा रु0 300/– नामांकन शुल्क व रू0 300/– उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय रू0 50/– सांस्कृतिक शुल्क, रू0 100/– क्रीड़ा शुल्क व रू0 100/–**Incubation** सुविधा/**ICT** सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय होगा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेगें। नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेगें।

(ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

नोटः–सांस्कृतिक शुल्क, क्रीड़ा शुल्क तथा **Incubation** सुविधा/**ICT** सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में **Incubation** सुविधा/**ICT** सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।

(स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अर्न्तगत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए रू0 300/–का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सटिर्फिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होगें

(द) (i) बीएएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(र) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी में पृथक–पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक–पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0एससी0(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।

PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA

उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंको की छूट मान्य होगी।

(श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णाक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए **SRN (Samarth Registration Number)** आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगीः–

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2025
- स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 जून, 2025
- स्नातक डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 जुलाई, 2025
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2025
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- उक्त कार्यक्रम/तिथियों मे संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा0कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0–2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।
   (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।
   (स) नई शिक्षा नीति–2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नही है।
   (द) नई शिक्षा नीति–2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नही है।
   (य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नही होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों मे कर सकते है।
   (र) एन0ई0पी0–2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0–2020 के अनुसार अनुमान्य होगें।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
   (ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।
   (i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

   (ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नही की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:–

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Pinciples, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:–

(1) बीएससी (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बीएससी (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बीएससी(गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीएिड्ट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वद्यिालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :–

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नही आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:–

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।
(iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोटः– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(iv) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(v) समिति का यह भी निर्णय हे कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

<u>शैक्षिक अंकों की गणना :–</u>

7. (क) <u>स्नातक कक्षायें:–</u>

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ख) <u>स्नातकोत्तर कक्षायें :–</u>

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:–

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:–

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:–

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः–

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नही होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।

   अथवा

   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक।

   अथवा

   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक।

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक।
5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 8 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 7 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 6 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 3 अंक।
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।
3. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को – 8 अंक।

   अथवा

   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को –6 अंक।

   अथवा

   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। –3 अंक।
4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए –5 अंक।
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। –3 अंक।

   अथवा

   महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए — 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक।

नोटः—उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण—पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण—पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायें:

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।— —17 अंक।
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति—पत्नी पुत्र—पुत्री (अविवाहित)। —10 अंक।
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) मे कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। —17 अंक।

टिप्पणीः

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोटः—

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण—पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा।
3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
(ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होगें।
(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।
(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सर्म्पक करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू—डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भॉति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा

12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

शुल्क तालिका

प्रवेश के समय लिए जाने वाले शुल्क की तालिका

S.R.K (PG) COLLEGE						
FEE STURECTURE 2025-26						
Particular	**B.A. /B.om I**	**B.A. /B.om II**	**B.A. /B.om III**	**B.A. I(Psy)**	**B.A. II(Psy)**	**B.A. III(Psy)**
Tution fee	132	132	132	132	132	132
Adm.fee	3	3	3	3	3	3
Lib.Ins.	20	20	20	20	20	20
Psychology fee	NIL	NIL	NIL	240	240	240
Psy.Inci.	NIL	NIL	NIL	25	25	25
H.C.	24	24	24	24	24	24
Fan fee	12	12	12	12	12	12
D.A.	42	42	42	42	42	42
TOTAL	**233**	**233**	**233**	**498**	**498**	**498**
Electric fee	150	150	150	150	150	150
Development fee	30	30	30	30	30	30
Building maint.	30	30	30	30	30	30
Reading room fee	30	30	30	30	30	30
Enrollment	300	NIL	NIL	300	NIL	NIL
Home exam fee	50	50	50	50	50	50
University exam fee	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Cultural prog.fee	125	125	125	125	125	125
SAF	12	12	12	12	12	12
Student Welf.fee	12	12	12	12	12	12
ID card	8	8	8	8	8	8
Magazine fee	50	50	50	50	50	50
Games fee	400	400	400	400	400	400
Degree fee	300	NIL	NIL	300	NIL	NIL
Annual function	10	10	10	10	10	10
Vocational	500	500	NIL	500	500	NIL
Rovers Rangers	50	50	50	50	50	50
ICT/Iqubation	200	NIL	NIL	200	NIL	NIL
Grand total	**4090**	**3290**	**2790**	**4355**	**3555**	**3055**

नोट– छात्राओं हेतु स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में शिक्षण शुल्क 132/– मुक्त रहेगा बाकी का शुल्क वैसे ही रहेगा।

Note- Prospectus Fees- 400

Registration Fee- 25

Classwise fee total 2025-26			
S.No.	**Class**	**Boys**	**Girls**
1	B.A/B.com Ist year	**4090**	**3958**
2	B.A/B.com IInd year	**3290**	**3158**
3	B.A/B.com IIIrd year	**2790**	**2658**
4	B.A.(Psy.) Ist year	**4355**	**4223**
5	B.A.(Psy.) IInd year	**3555**	**3423**
6	B.A.(Psy.) IIIrd year	**3055**	**2923**

S.R.K.(P.G) COLLEGE FEE STURECTURE 2025-26				
FEE STURECTURE 2025-26				
Particular	**M.A/M.com I**	**M.A/M.com II**	**M.A.I Psy**	**M.A. II Psy**
Tution fees	180	180	180	180
Adm.fees	3	3	3	3
Lib.Ins.	20	20	20	20
Psychology fees	nil	nil	240	240
Psy.Inci.	nil	nil	25	25
H.C.	24	24	24	24
Fan fees	12	12	12	12
D.A.	42	42	42	42
TOTAL	**281**	**281**	**546**	**546**
Electric fess	150	150	150	150
Development fees	30	30	30	30
Building maint.	30	30	30	30
Reading room fees	38	38	38	38
University enroll.	nil	nil	nil	nil
Home exam fee	50	50	50	50
University exam fees	4000	4000	4000	4000
Cultural prog.fess	125	125	125	125
SAF	12	12	12	12
Student Welf.fees	12	12	12	12
ID card	8	8	8	8
Magazine fees	50	50	50	50
Games fees	400	400	400	400
Degree fess	300	nil	300	nil
Annual function	10	10	10	10
Rovers Rangers	50	50	50	50
ICT	200	NIL	200	NIL
Vocational	nil	nil	nil	nil
Grand total	**5746**	**5246**	**6011**	**5511**

Note- Prospectus Fees- 400/-
Registration Fee- 25/-

Classwise fee total 2025-26			
S.no.	**Class**	**Boys**	**Girls**
7	M.A./M.com Ist year	**5746**	**5746**
8	M.A./M.com IInd year	**5246**	**5246**
9	M.A.(Psy.) Ist year	**6011**	**6011**
10	M.A.(Psy.) IInd year	**5511**	**5511**

नोट –

1– विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क में परिवर्तन अनुमन्य किया जायेगा।

2– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02–01–2021 एवं डॉ0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की प्रवेश नियमावली के निर्देशानुसार यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहिनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रहीं है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

3– जो विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालयों से स्थानान्तरित होकर आये हों, उन्हें 300.00नामांकन शुल्क अतिरिक्त देना होगा।

4– विश्वविद्यालय द्वारा किसी शुल्क में यथा नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, लघु शोधशुल्क आदि में यदि वृद्धि की जाती है तो वह छात्र से कुल शुल्क के अतिरिक्त यथा समय ली जायेगी।

5– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुपालन में सेमेस्टर परीक्षाओं से सम्बन्धित, विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप शुल्क का भुगतान यथा समय सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्यतः करना होगा।

<u>अनुशासन सम्बन्धी नियमावली</u>

महाविद्यालय में अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। इस हेतु अनुशासन अधिकारी भी नियुक्त किये जाते है। छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला शिकायत प्रकोष्ठ तथा छात्रों की समस्या के समाधान हेतु छात्र शिकायत प्रकोष्ठ कॉलेज में स्थापित है। महाविद्यालय के सभी संस्थागत छात्रों को अनुशासन समिति द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

1. नवीन विद्यार्थी प्रवेश मिलते ही अपना परिचय पत्र बनवा लें। प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को प्रतिदिन अपने साथ कॉलेज में परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।

2. सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को यूनिफार्म पहनकर आना अनिवार्य है। छात्रों को यूनिफार्म में सफेद शर्ट और ग्रे पैन्ट तथा छात्राओं को ग्रे कुर्ती, सफेद पायजामी व सफेद चुन्नी अनिवार्य रूप से पहनना होगा। सर्दियों में छात्रों एवं छात्राओं को ग्रे रंग का स्वैटर पहनना होगा।
3. संस्थागत छात्रों के रूप में प्रविष्ट छात्रों को छोड़कर अन्य किसी भी छात्र को कक्षा में अध्ययन हेतु बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
4. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा सम्बन्धी, परीक्षा सम्बन्धी एवं अन्य कार्यक्रमों सम्बन्धी नियमों एवं अनुशासन का पालन करें । अभिभावकों से निवेदन है कि वे इन नियमों के अनुपालन में कॉलेज अधिकारियों का सहयोग करें ।
5. जो छात्र–छात्रायें परीक्षा में तथा पठन–पाठन के समय दुर्व्यवहार तथा अनुशासनहीनता करते पाये जायेंगे उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा । **<u>परीक्षाकाल में मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रोनिक ड्विाइस लाना वर्जित है।</u>**

6. कोई छात्र साइकिल, मोटर साइकिल या स्कूटर कॉलेज के भीतर नहीं लायेगा। इन्हें साइकिल स्टैण्ड पर ही रखें।
7. कॉलेज परिसर में बाहरी व्यक्तियों का अकारण प्रवेश वर्जित है।
8. कोई भी विद्यार्थी न तो फुहारे के पास खड़ा होगा, न समूह में गप–शप करेगा। अनुशासनहीता करने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज से निष्कासित किया जोगा।
9. वादन (घंटा) खाली होने पर पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में बैठकर पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र पढ़ें। परिसर में इधर–उधर न घूमें तथा परिसर के सभी लॉन को स्वच्छ बनायें रखने का प्रयत्न करें।
10. समस्त पाठ्य गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सभी विद्यार्थियों का सहयोग अपरिहार्य है।
11. किसी भी प्रकार से अनुशासन भंग न करें। कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. किसी भी कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी को बिना रसीद के कोई धनराशि न दें।
13. किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर प्राचार्य या अनुशासन समिति से यथाशीघ्र सम्पर्क स्थापित करें।

प्रपत्र–2

घोषणा–पत्र

छात्र / छात्राओं एवं अभिभावकों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश

अभिभावक का फोटो		छात्र–छात्रा का नवीनतम फोटो चिपकायें

1. प्रत्येक कक्षा में शासन एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त मानकों के आधार पर निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश होगा।
2. प्रत्येक कक्षा में मेरिट के आधार पर ही प्रवेश होगा।
3. प्रवेश शुल्क जमा होने के यथा शीघ्र विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन हेतु उपस्थित रहना होगा ।
4. सभी कक्षाओं में प्रत्येक छात्र / छात्रा की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति कम होने पर छात्र / छात्रा को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी तथा छात्रवृत्ति का भी वह पात्र नहीं होगा। अभिभावक समय–समय पर अपने पाल्य की उपस्थिति से अवगत होते रहें ।
5. प्रत्येक छात्र / छात्रा के पास कॉलेज द्वारा निर्गत वर्तमान सत्र का परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए। नया परिचय–पत्र शुल्क रसीद दिखाकर अनुशासन अधिकारी से प्राप्त कर लें।
6. महाविद्यालय में अनुशासनहीनता अथवा अभद्र व्यवहार करने पर महाविद्यालय अनुशासन–समिति द्वारा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. अभिभावकों से अनुरोध है कि समय–समय पर कॉलेज में पधारकर अपने पाल्य की पठन–पाठन एवं आचरण की जानकारी करते रहें ।

8. महाविद्यालय के छात्र/छात्राएँ कॉलेज परिसर में प्रतिदिन निर्धारित यूनीफॉर्म में अपना परिचय–पत्र लेकर आयें तथा कक्षाएँ समाप्त होने के उपरान्त परिसर छोड़ दें। किसी भी अवांछनीय गतिविधि में भाग लेने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्राचार्य के निर्देशानुसार स्नातक प्रथम सेमेस्टर में **शिक्षक–अभिभावक योजना** प्रारंभ की गयी है जिसमें सभी छात्र–छात्राओं के समग्र विकास एवं महाविद्यालय की गतिविधियों के संदर्भ में मार्गदर्शन हेतु प्राध्यापकों को अभिभावक के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा।

मैने/अभ्यर्थी ने उपरोक्त नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैं यह आश्वासन देता/देती हूँ कि अपने अध्ययन की अवधि में इन नियमों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर	अभिभावक के हस्ताक्षर
कक्षा	नाम ....
मोबाइल नं0	पता ....
ई–मेल	मोबाइल नं0 ....
	ई–मेल ....

नोट – साक्षात्कार के समय उपरोक्त प्रपत्र को पूर्णतः भरकर प्रवेश–समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

आवेदन पत्र क्रमांक

एस. आर. के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फीरोजाबाद

प्रवेश आवेदन पत्र 2025-2026

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं ☐ स्नातकोत्तर कक्षा का विषय ☐

1. प्रवेशार्थी का नाम (हिन्दी में) ....
2. प्रवेशार्थी का नाम (अंग्रेजी के कैपीटल अक्षरों में) ....
3. पिता का नाम ....
   माता का नाम ....
4. स्थायी निवास का पता ....

वेब रजि.	
आधार क्रमांक	
मोबाइल नं.	
वाट्सअप नं.	
ई–मेल :	

5. जिस वर्ग से सम्बन्धित है उसके आगे वर्ग में सही करें। अनुसूचित जाति ☐ पिछडी जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ सामान्य ☐ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ☐ विकलांग ☐
6. जाति का नाम ....
7. संरक्षक का नाम व पता ....
8. उ.प्र. में कब से निवास कर रहे हैं .... राष्ट्रीयता ....
9. जन्म तिथि (हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार) ....
10. कक्षा जो उत्तीर्ण की .... वर्ष .... विद्यालय का नाम ....
    संस्थागत / व्यक्तिगत .... बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम ....
11. **बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर–1) में लेने वाले विषय :**

कला संकाय : अर्थशास्त्र ☐ मनोविज्ञान ☐ इतिहास ☐ समाजशास्त्र ☐ राजनीति विज्ञान ☐

भाषा संकाय : संस्कृत ☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐

वाणिज्य संकाय : व्यवसाय प्रशासन ☐ **लेखा विधि** ☐ **व्यवहारिक व्यवसायिक अर्थशास्त्र** ☐

परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	बोर्ड / विश्वविद्यालय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	मेरिट काउंट
1. हाईस्कूल							
2. इंटर							
3. बी.ए. / बी.कॉम.							
4. एम.ए. / एम.कॉम. पूर्वार्द्ध							
						अतिरिक्त अंक	
						कुल योग	

हिन्दी में ☐ अंग्रेजी में ☐ ← अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रवेशार्थी का घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता / करती हूँ कि प्रवेश फार्म में मेरे द्वारा संलग्न की गई अंकतालिकायें (इण्टरनेट) तथा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की गई मूल अंकतालिका में यदि कोई अंतर पाया जाता है अथवा अनुत्तीर्ण या अनुपस्थिति रहने की दशा में प्रवेश निरस्त होता है, तो बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मूल अंकतालिका ही मान्य होगी तथा महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मेरा होगा। मैं किसी भी प्रकार का क्लेम नही करूँगा / करूँगी।

मैं यह भी शपथपर्वूक घोषणा करता / करती हूँ कि अध्ययनकाल में अपना चरित्र एवं सद्व्यवहार बनाये रखूँगा / रखूँगी तथा किसी भी असामाजिक, अवांछनीय कृत्य में भाग नहीं लूंगा / लूंगी। मैं कालेज प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुशासन का पालन करूँगा / करूँगी तथा विश्वविद्यालय के नियमो / अधिनियमों का भली भाँति पालन करूँगा / करूँगी। सभी निर्देशों का पालन करते हुये कॉलेज प्रशासन के आदेशों के अनुसार अनुशासन में रहने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर ....

स्थान

दिनांक

नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा विश्वास दिलाता हूँ और यह उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूँ कि मेरा पुत्र / पुत्री / आश्रित कक्षा में प्रवेश पाने पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की नियमावली, अनुशासन का पालन करेगा / करेगी। तथा अपना सच्चरित्र एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा और ऐसा न करने पर नियमानुकूल निष्कासन अथवा अन्य दण्ड का भागी बनेगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर ....

स्थान

दिनांक

नाम ....

पता ....

....

-: प्रकाशक :-

डॉ0 विनय कुमार गोयल

बी0एससी0, एम0ए0 (अर्थशास्त्र), पीएच0डी0

फैक्स : 05612 - 241373

महाविद्यालय की बेवसाइट www.srkpgcollege.com

विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.dbrau.ac.in

S.R.K. (P.G.) COLLEGE

19 59

जो हठ राखै धर्म की तेहि राखै करतार

FIROZABAD

-: प्राचार्य :-

प्रोफे0 डा0 प्रमोद कुमार सीरौठिया

एम.कॉम., एम.ए. (इतिहास), पीएच.डी.

ईमेल - srkpgcollegefirozabad@yahoo.in